

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Smt. Kamla Devi d/o Shri Joginder Singh, r/o V.P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala,
District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Kamla Devi d/o Shri Joginder Singh, r/o V.P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Kamla Devi d/o Shri Joginder Singh का जन्म/मृत्यु दिनांक 20-02-1983 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुश्ट्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Kamla Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 05-04-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

1. कपिल कुमार, 2. अशोक कुमार पुत्र व 3. मीनाक्षी पुत्री व 4. श्यामा देवी विधवा श्याम लाल, 5. संजीव कुमार, 6. पंकज महाजन पुत्र राम चंद, 7. आशीष पुत्र प्रदीप, 8. वीना विधवा राम चरण, 9. दिनेश कुमार पुत्र नरेन दास, 10. संजीव कुमार पुत्र व 11. अनीता, 12. बबीता पुत्रियां स्वर्गीय हंस राज, 13. अश्वनी कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 14. शैलजा पुत्री, 15. अरुणा विधवा ओंकार चंद, 16. सुभाष चंद पुत्र प्रेम दास, 17. इन्दिरा दीव पुत्री प्रेमदास, 18. मनु, 19. सुमित पुत्र व 20. निधि पुत्री व 21. इन्दु विधवा बलबीर कुमार, 22. चंदरेश्वर पुत्र प्रेम दास बजरिया कौंसल श्री चंदेश्वर गुप्ता ADV धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. प्यारे लाल, 2. नरेन दास, 3. चमन, 4. देश राज, 5. प्रमेश्वरी दास पुत्र व पून्या देवी, धर्मो देवी, कांता देवी पुत्रियां रूमी, निवासी महाल सोकनी दा कोट, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 150, खतौनी नं0 265 ता 267, खसरा नम्बर 365, 368, 331, 624/1, कित्ता 4, रकबा तादादी 00-05-92-10 है0 व खाता नं0 151, खतौनी नं0 268, 269, 270, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 00-73-72 है0, खाता नं0 152, खतौनी नं0 271, खसरा कित्ता 1, रकबा तादादी 00-31-17 है0, खाता नं0 153, खतौनी नं0 272, 273 खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 00-69-13 है0 वाक्या महाल महाल सोकनी—दा—कोट, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना पत्र : प्रार्थी 1. कपिल कुमार, 2. अशोक कुमार पुत्र व 3. मीनाक्षी पुत्री व 4. श्यामा देवी विधवा श्याम लाल, 5. संजीव कुमार, 6. पंकज महाजन पुत्र राम चंद, 7. आशीष पुत्र प्रदीप, 8. वीना विधवा राम चरण, 9. दिनेश कुमार पुत्र नरेन दास, 10. संजीव कुमार पुत्र व 11. अनीता, 12. बबीता पुत्रियां स्वर्गीय हंस राज, 13. अश्वनी कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 14. शैलजा पुत्री, 15. अरुणा विधवा ओंकार चंद, 16. सुभाष चंद पुत्र प्रेम दास, 17. इन्दिरा देवी पुत्री प्रेम दास, 18. मनु, 19. सुमित पुत्र व 20. निधि पुत्री व 21. इन्दु विधवा बलबीर कुमार, 22. चंदरेश्वर पुत्र प्रेम दास बजरिया कौंसल श्री चंदेश्वर गुप्ता ADV धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है तथा कागजात तकसीम भी हल्का कानूनगो द्वारा तैयार करके इस कार्यालय में प्रेषित कर दिये है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण बावजूद समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए प्रतिवादीगण प्यारे लाल, 2. नरेन दास, 3. चमन, 4. देश राज, 5. प्रमेश्वरी दास पुत्र व 6. पून्या देवी, 7. धर्मो देवी, 8. कांता देवी पुत्रियां रूमी, निवासी महाल सोकनी दा कोट, मौजा खनियारा को इस मुश्त्री/मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 16-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने कि सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 04/2025

तारीख पेशी : 16-04-2025

श्रीमती सुभद्रा देवी पुत्री वसन्त सिंह, निवासी गांव खजुरनू, डाकघर मूण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

इशतहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी।

श्रीमती सुभद्रा देवी पुत्री वसन्त सिंह, निवासी गांव खजुरनू, डाकघर मूण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्की पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 24-06-1974 को गांव खजुरनू, ग्राम पंचायत मूण्डी में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत मूण्डी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त सुभद्रा देवी की जन्म तिथि 24-06-1974 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-04-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त चतर सिंह की जन्म तिथि 24-06-1974 के पंजीकरण करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-03-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
कार्यकारी दण्डाधिकारी
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 23/तह/2025

किस्म : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 17-04-2025

सुभाष चन्द पुत्र स्व0 श्री गोपाल दास, गांव डलू, डाकघर वीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इशतहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री सुभाष चन्द पुत्र स्व0 श्री गोपाल दास, गांव डलू, डाकघर वीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरे पिता श्री गोपाल दास पुत्र स्व0 श्री गिरधारी लाल गांव डलू, डाकघर वीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 22-09-2018 को गांव डलू, डाकघर वीजापुर, ग्राम पंचायत हलेड़, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत हलेड़ को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरे पिता श्री गोपाल दास पुत्र गिरधारी लाल की मृत्यु तिथि 22-09-2018 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-04-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या

एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत हलेड़ को जारी कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-03-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 02 / NT / B / 2025

तारीख दायरा : 25-02-2025

तारीख पेशी : 02-04-2025

प्रवीण चौहान पुत्री प्रेम कुमार चौहान, वासी संसारपुर टैरस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969.

प्रवीण चौहान पुत्री प्रेम कुमार चौहान, वासी संसारपुर टैरस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 17-02-1983 को महाल संसारपुर टैरस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपना नाम तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा पाई है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02-04-2025 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है। यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम श्रीमती प्रवीण चौहान पुत्री प्रेम कुमार चौहान, वासी संसारपुर टैरस तथा जन्म तिथि 17-02-1983 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत घाटी को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 03 / NT / B / 2025

तारीख दायरा : 04-03-2025

तारीख पेशी : 05-04-2025

सन्धया देवी पुत्री भागमल चौहान, वासी बढाल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

विषय.—आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969.

श्रीमती सन्धया देवी पुत्री भागमल चौहान, वासी बढाल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01-01-1963 को महाल बढाल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपना नाम तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा पाई है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02-04-2025 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है। यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम श्रीमती सन्धया देवी पुत्री भागमल चौहान, वासी बढाल तथा जन्म तिथि 01-01-1963 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत घाटी को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
